संख्या- 620/छप्पन-09-11/07

प्रेषक,

देवेन्द्र स्वरूप,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग, लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2009

विषयः **उ0प्र0 सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 747/छप्पन-2007-11/07, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर सं0-1 (V) (VII) में निम्नवत् व्यवस्था है :-

'निजी संस्था सुरक्षा एवं आग से सम्पत्ति के बचाव हेतु समस्त उपाय अपने व्यय पर करेगी एवं अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी रोकथाम सुनिश्चित करेगी।'

शासनादेश के साथ संलग्न 'Expression of Interest' Section-1 के प्रस्तर-2 'Role of Private Sector Partner' (PSP) में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है :-

"The PSP shall make arrangements for security/firefigting and other safety measures at the Airstrips and its building structure at their own cost."

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निजी संस्थाओं द्वारा सुरक्षा एवं आग से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें नहीं की जा रही हैं। अतः उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश के साथ संलग्न 'Expression of Interest' Section-1 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थित ऐसी राजकीय हवाई पट्टियॉ जहां पर निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गयी है, पर सुरक्षा एवं आग से बचाव हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिले में जिला स्तर पर एक समिति गठित कर दी जाय जिसमें समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे तथा संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी) एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समिति के सदस्य संयोजक प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी) रहेंगे। गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किस किस स्थान पर किस किस समय कितने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध रहेंगे तथा अग्निशमन संबंधी सभी उपाय पूरे हैं अथवा नहीं? सुरक्षाकर्मी/अग्निशमन कर्मियों

के वेतन एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों को वहन करने के लिए एक कामन कारपस बना लिया जाए जिसमें निजी संस्थाएं अपना योगदान करेंगी। कामन कारपस का बैंक एकाउंट प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी) और संबंधित संस्था के एक प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जाएगा। यदि किसी हवाई पट्टी पर एक ही संस्था कार्यरत हो तो वहाँ पर संबंधित प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी) और संबंधित संस्था के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालित होगा किन्तु एक से अधिक संस्थाओं के कार्यरत होने की दशा में पहले वर्ष में किसी एक संस्था का प्रतिनिधि, दूसरे वर्ष में दूसरी संस्था का प्रतिनिधि तथा तीसरे वर्ष में तीसरी संस्था के प्रतिनिधि के साथ संबंधित प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक एकाउंट का संयुक्त संचालन होगा। इसी प्रकार वर्षानुवर्ष लेखे के संचालन की प्रक्रिया चलती रहेगी।

इन आदेशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(देवेन्द्र स्वरूप)
विशेष सचिव।

संख्याः 620(1)/छप्पन-2009-तद्दिनांक

उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित अग्निशमन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी)।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं के एकाउंटेबल मैनेजर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नकः- यथोक्त।

(राम चन्द्र लोहनी)
विशेष कार्याधिकारी।